



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012025-259890  
CG-DL-E-03012025-259890

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2025/पौष 13, 1946

No. 30]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/PAUSHA 13, 1946

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2025

का.आ. 32(अ).—सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशानिर्देश) नियमावली, 2021 के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के साथ पठित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 13 के संबंध में उक्त नियमों के प्रयोजनों के लिए निदेशक, वित्तीय आसूचना एकक, भारत को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करती है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू रहेगी।

[फा. सं. एन -24015/5/2024-कंप्यूटर प्रकोष्ठ]

मुकेश सुंदरियाल, अवर सचिव (कंप्यूटर प्रकोष्ठ)

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd January, 2025

**S.O. 32(E).**— In pursuance of clause (b) of sub-section (3) of section 79 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) read with clause (d) of sub-rule (1) of rule 3 of the Information Technology (Guidelines for Intermediaries and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, the Central Government hereby designates the Director, Financial Intelligence Unit, India as the nodal officer for the purposes of the said rules in respect to section 13 of The Prevention of Money Laundering Act 2002.

2. This Notification shall remain in force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. N-24015/5/2024-Computer Cell]

MUKESH SUNDRIYAL, Under Secy. (Computer Cell)